Victims & Witnesses

अब आप एक गवाह हैं

आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य देने वाले गवाहों के लिए जानकारी

Office of Public Prosecutions
Victoria

जब आप आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य देते/देती हैं तो इसमें क्या शामिल होता है? आप तैयारी कैसे कर सकते/सकती हैं?

साक्ष्य देकर आप आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुमूल्य योगदान देते/देती हैं। न्यायालयी प्रणाली सच्चे गवाहों की सहायता पर निर्भर करती है।

अभियोजन सेवा

विक्टोरिया में गंभीर अपराधों पर लोक अभियोजन निदेशक (Director of Public Prosecutions) द्वारा लोक अभियोजन कार्यालय (ओपीपी) [Office of Public Prosecutions (OPP)] के माध्यम से मुकदमा चलाया जाता है।

ओपीपी (OPP) की अभियोजन टीम आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए विक्टोरिया पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। किंतु हम अपराध की जांच नहीं करते हैं और हम एक स्वतंत्र एजेंसी हैं। इसका अर्थ है कि हम पुलिस, मीडिया और न्यायालयों से स्वतंत्र हैं।

ओपीपी (OPP) अभियोजन टीम में मामला तैयार करने वाला एक वकील होता है, एक अभियोजक होता है जो न्यायालय में गवाहों से प्रश्न पूछता है और न्यायाधीश और ज्यूरी के समक्ष मामला प्रस्तुत करता है, तथा इस टीम में एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है।

गवाह समर्थन

न्यायालय में साक्ष्य देने के बारे में घबराहट महसूस करना एक सामान्य बात है। ओपीपी (OPP) की पीड़ित और गवाह समर्थन सेवा (वीडब्ल्यूएएस) [Victims and Witness Assistance Service (VWAS)] आपको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जानकारी और समर्थन दे सकती हैं। वीडब्ल्यूएएस (VWAS) योग्य पेशेवरों की एक स्वतंत्र, विशेषज्ञ सेवा है, जो गवाहों और गंभीर अपराध के शिकार लोगों के समर्थन में अनुभवी होते हैं।

वीडब्ल्यूएएस (VWAS) के कर्मी:

- न्यायालय के पहले, दौरान और बाद में क्या होता है, इसके बारे में समझा सकते हैं
- आपको अधिकार और पात्रताओं तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता दे सकते हैं
- आपको अन्य एजेंसियों और सेवाओं के प्रति निर्दिष्ट कर सकते हैं।

सुझाव

- यदि आपके पास किसी मामले के बारे में कोई प्रश्न हैं, या आपको और अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो ओपीपी (OPP) के वकील, पुलिस सूचक या वीडब्ल्यूएएस (VWAS) से संपर्क करें।
- अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवस्था करें, क्योंकि न्यायालय में बच्चों की निगरानी करने की सुविधाएँ नहीं हैं।

सबपीना के साथ व्यवहार करना

यदि आप एक आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य दे रहे/रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपने पुलिस को एक बयान दिया है और आपको एक सबपीना प्राप्त हुई है।

सबपीना का यह अर्थ है कि आपको न्यायालय में जाना होगा और आपने पुलिस को जो बताया है, उसके बारे में प्रश्नों के उत्तर (साक्ष्य) देने होंगे। यदि आपको सबपीना प्राप्त हुई है, तो न्यायालय में नहीं जाने पर गंभीर दंड लागू होते हैं।

अपराध की जांच करने वाले पुलिस सूचक, और आप जिस ओपीपी (OPP) के साथ व्यवहार करेंगे/करेंगी, उसके संपर्क विवरण सबपीना में दिए गए होंगे।

न्यायालय की तिथि

सबपीना में आपको मुकदमे की पहली तिथि बताई जाएगी, किंतु हो सकता है कि यह तिथि वह दिन न हो जब आपको साक्ष्य देने की आवश्यकता है।

जब आपको न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, तो पुलिस सूचक आपसे संपर्क करेगा।

यदि आपसे संपर्क नहीं किया जाता है, तो कृपया पुलिस सूचक या ओपीपी (OPP) वकील को कॉल करें।

आवश्यक व्यवस्थाएँ

आपको न्यायालय में अपनी उपस्थिति से पहले अपने कार्य या अध्ययन में से समय निकालने की व्यवस्था करनी होगी। आपको एक से अधिक दिनों के लिए न्यायालय जाने की आवश्यकता हो सकती है।

आपको पुलिस सूचक या ओपीपी (OPP) वकील को बताने की आवश्यकता होगी, यदि:

- आपको दुभाषिए की ज़रूरत है
- आप किसी ऐसी विकलाँगता से ग्रस्त हैं, जिससे आपको साक्ष्य देने में कठिनाई हो सकती है
- आपका पता या टेलीफोन नंबर बदल जाता है।

गवाह के खर्चे

आप न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अपने कुछ खर्चों का दावा कर सकते/सकती हैं। सबपीना के साथ एक गवाह व्यय दावा फॉर्म भेजा जाएगा, जिसमें दावा किए जाने योग्य राशियों के बारे में समझाया जाएगा। पार्किंग और शिशु-देखभाल के खर्चों का दावा नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय में उपस्थिति

साक्ष्य देने के लिए तैयारी करना

जिस दिन आप न्यायालय जाते/जाती हैं, उस दिन कई बार अपने बयान को ध्यान से पढ़ें। इससे आपकी स्मृति ताजा हो जाएगी कि आपने पुलिस को क्या बताया था। साक्ष्य प्रदान करते समय आप अपने बयान को देख नहीं पाएँगे/पाएँगी।

आपने पुलिस को जो बताया था, उसके बारे में न्यायालय जाने से पहले या न्यायकक्ष के बाहर अन्य गवाहों के साथ चर्चा न करें।

यदि आप न्यायालय में अपने पते का उल्लेख नहीं किया जाना चाहते/चाहती हैं, तो आपको न्यायालय के आरंभ होने से पहले इसके बारे में ओपीपी (OPP) वकील या पुलिस सूचक को बताना चाहिए।

न्यायालय में पहुँचना

जब आप न्यायालय पहुँचते/पहुँचती हैं (यदि पुलिस सूचक के साथ पहले से ही कोई व्यवस्थाएँ न की गई हों), तो:

- यदि आवश्यक हो, तो न्यायालय की सुरक्षा-व्यवस्था से होकर जाएँ
- फॉयर नोटिस बोर्ड पर न्यायालय की दैनिक सूची देखें
- मुकदमे में शामिल व्यक्ति और न्यायकक्ष संख्या की खोज करें
- न्यायकक्ष में जाएं और पुलिस सूचक या ओपीपी (OPP) वकील द्वारा संपर्क किए जाने की प्रतीक्षा करें
- यदि आप एक क्षेत्रीय न्यायालय में हैं, तो आप सहायता के लिए रजिस्ट्रार के काउंटर पर जा सकते/सकती हैं।

सुझाव

- यदि आप गाड़ी चलाकर न्यायालय जा रहे/रही हैं, तो जुर्माने से बचने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आप पूरे दिन की पार्किंग का उपयोग कर सकते/सकती हैं
- आपको अपना साक्ष्य देने से पहले न्यायकक्ष में बैठने और अन्य गवाहों को सुनने की अनुमति नहीं है। प्रतीक्षा करते समय कुछ पढ़ने या समय बिताने के लिए अपने साथ कुछ लेकर जाएँ।
- सामान्य रूप से न्यायालय सुबह 10:00बजे से दोपहर 4:15बजे तक संचालित किए जाते हैं, तथा दोपहर 1:00बजे से लेकर 2:00बजे तक दोपहर के भोजन का अंतराल होता है।

न्यायकक्ष के अंदर

आपराधिक मुकदमा एक न्यायाधीश और ज्यूरी के सामने होता है। अभियोजन के मामले में शामिल सभी गवाह प्रश्नों के उत्तर देकर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिनमें अपराध के शिकार व्यक्ति भी शामिल होते हैं।

न्यायकक्ष में प्रवेश करना

जब आपके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय आएगा, तो आपका नाम पुकारा जाएगा। न्यायकक्ष में प्रवेश करने के बाद आपको गवाह का कटघरा दिखाया जाएगा।

न्यायाधिकारी आपसे पूछेगा:

- क्या आप बाइबल या किसी अन्य पवित्र पुस्तक पर शपथ लेना चाहते/चाहती हैं, या सच बोलने का वादा करना चाहते/चाहती हैं (प्रतिज्ञान)
- आपका पूरा नाम क्या है
- आप शपथ या प्रतिज्ञान धारण करें।

उसके बाद अभियोजक आपसे पूछेगा:

- आपका पूरा नाम क्या है
- आप क्या काम करते/करती हैं।

साक्ष्य प्रक्रिया

पहले अभियोजक आपसे प्रश्न पूछेगा। इसे 'प्रमुख साक्ष्य' ('evidence-in-chief') कहा जाता है।

फिर आरोपी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिरक्षक वकील आपसे प्रश्न पूछेगा। इसे 'प्रति-परीक्षण' ('cross-examination') कहा जाता है।

इसके बाद अभियोजक आपसे कुछ और प्रश्न पूछ सकता है। इसे 'पुन: परीक्षण' ('re-examination') कहा जाता है।

न्यायाधीश भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं।

सुझाव

- न्यायाधीशों को 'Your Honour' कहा जाता है।
- यदि आप न्यायालय में तथा अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते समय अपने साथ किसी समर्थन व्यक्ति को उपस्थित रखना चाहते/चाहती हैं, तो वीडब्ल्यूएएस (VWAS) से संपर्क करें।

साक्ष्य प्रस्तुत करना

न्यायालय में प्रश्नों का उत्तर देते समय सच बोलना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है।

साक्ष्य प्रस्तुत करते समयः

- उत्तर देने से पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनें
- उत्तर देने के लिए अपना पूरा समय लें
- यदि आपको कोई प्रश्न सुनाई नहीं देता है या समझ में नहीं आता है, तो इसे दोहराए जाने के लिए कहें
- यदि आपको याद नहीं है या आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो आपको यह बताना चाहिए
- यदि आप सुनिश्चित हैं, तो आप यह कह सकते/सकती हैं
- जब आप साक्ष्य प्रस्तुत करना समाप्त कर लेते/लेती हैं, तो न्यायाधीश आपको विमुक्त कर देंगे और आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

सुझाव

- यदि आपको अंतराल लेने की आवश्यकता है, तो आप न्यायाधीश से इसके लिए पूछ सकते/सकती हैं।
- माइक्रोफोन आपके उत्तरों को रिकॉर्ड करता है लेकिन आपकी आवाज को ऊंचा नहीं बनाता है, इसलिए आपको स्पष्ट रूप से बोलने की आवश्यकता है।

यौन उत्पीड़न और पारिवारिक हिंसा के मामले

यदि आप यौन उत्पीड़न के/की शिकार हैं, तो आप न्यायालय से दूर रहते हुए क्लोज़्ड-सर्किट टेलीविजन के माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते/सकती हैं। यदि आप पारिवारिक हिंसा के/की शिकार हैं, तो आपको भी क्लोज़्ड-सर्किट टेलीविजन का उपयोग करके अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। यौन अपराध के मामलों और पारिवारिक हिंसा के मामलों में न्यायालय गवाह को किसी अलग स्थान पर रहते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।

साक्ष्य देते समय दूरस्थ सुविधा में आपके साथ कोई समर्थन व्यक्ति भी बैठ सकता है। समर्थन व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और वह व्यक्ति दूसरा गवाह नहीं हो सकता है।

अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दूरस्थ गवाह सुविधा का उपयोग करने के बारे में वीडब्ल्यूएएस (VWAS) आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकती है।

मुकदमे के अंत में

सभी गवाहों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद अभियोजक, प्रतिरक्षक वकील और न्यायाधीश प्रमाणों और कानून के बारे में ज्यूरी के साथ बात करेंगे।

इसके बाद ज्यूरी तय करेगी कि आरोपी दोषी है या नहीं। ज्यूरी को निर्णय लेने में कितना समय लग सकता है, इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है।

यदि आरोपी को दोषी पाया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति एक पीड़ित प्रभाव कथन (Victim Impact Statement) तैयार कर सकता है, जिसे याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

न्यायाधीश एक अलग सुनवाई दण्ड का निर्धारण में करेंगे। सामान्य रूप से यह किसी अन्य दिन व्यवस्थित की गई सुनवाई में होता है।

यदि आरोपी को दोषी नहीं पाया जाता है, तो वे जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

पुलिस सूचक, ओपीपी (OPP) वकील या डब्ल्यूएएस (WAS) आपको मुकदमे के परिणाम के बारे में सूचित करेंगे।

प्रमुख बातें

- यदि आपको एक सबपीना भेजी जाती है, तो आपके लिए न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- साक्ष्य प्रस्तुत करते समय सच बोलना महत्वपूर्ण होता है।
- अपने साक्ष्य के बारे में अन्य गवाहों के साथ चर्चा न करें।
- यदि आप यौन उत्पीड़न के/की शिकार हैं, तो आप न्यायालय से दूर रहते हुए क्लोज़्ड-सर्किट टेलीविजन के माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते/सकती हैं। यदि आप पारिवारिक हिंसा के/की शिकार हैं, तो आपको भी क्लोज़्ड-सर्किट टेलीविजन का उपयोग करके अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।
- पीड़ित और गवाह समर्थन सेवा (Victims and Witness Assistance Service) की ओर से समर्थन उपलब्ध है।
- आप जिस मामले में शामिल हैं, उसके बारे में जानकारी के लिए आप पुलिस सूचक या ओपीपी (OPP) वकील से पूछ सकते/सकती हैं।
- यदि आपका पता या संपर्क विवरण बदल जाते हैं, तो अभियोजन टीम को इसके बारे में बताएँ।

सूचना और सहायता

लोक अभियोजन कार्यालय

565 लॉन्सडेल स्ट्रीट मेलबर्न 3000
टे: (03) 9603 7666
ई info@opp.vic.gov.au
वे: opp.vic.gov.au

पीड़ित और गवाह समर्थन सेवा [Victims and Witness Assistance Service (VWAS)]

565 लॉन्सडेल स्ट्रीट मेलबर्न 3000
टे: (03) 9603 7425
टे: 1800 641 927 (निःशुल्क)
ई: wasadmin@opp.vic.gov.au
वे: opp.vic.gov.au/victims-witnesses

अपराध पीड़ित हेल्पलाइन

टे: 1800 819 817 (निःशुल्क)
टेक्स्ट: 0427 767 891
ई: vsa@justice.vic.gov.au
वे: victimsofcrime.vic.gov.au

विज़न ऑस्ट्रेलिया सूचना लाइन

टे: 1300 847 466 (निःशुल्क)
टीटीवाई सेवाएँ: 13 36 77 (श्रवण बाधित)
वे: visionaustralia.org

टेलीफोन अनुवाद और दुभाषिया सेवा

टे: 13 14 50 (निःशुल्क)

न्यायालय

मेलबर्न मजिस्ट्रेट न्यायालय

233 विलियम स्ट्रीट मेलबर्न 3000
टे: (03) 9628 7777
वे: mcv.vic.gov.au

काउंटी कोर्ट ऑफ विक्टोरिया

250 विलियम स्ट्रीट मेलबर्न 3000
टे: (03) 8636 6888
वे: countycourt.vic.gov.au

सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया

210 विलियम स्ट्रीट मेलबर्न 3000
टे: (03) 8600 2000
वे: supremecourt.vic.gov.au

आपकी सबपीना में उस न्यायालय का पता दिया गया होगा, जहाँ आपको उपस्थित होने की आवश्यकता है।

Office of Public Prosecutions Victoria

लोक अभियोजन कार्यालय (विक्टोरिया)
द्वारा जून 2014 में प्रकाशित और कॉपीराइट किया गया